न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :169 / 2025(जी.सी.एम.एस. 2025 / 236)

वादीगण	बनाम प्रतिवादी
1. दलबीर कौर पत्नी बख्तावर सिंह पुत्री गण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 50 जी.बी. तहसील रामसिंहपुरा जिला श्रीगंगानगर। 2. सुखविन्द्र कौर पत्नी काबल सिंह पुत्री गण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी 42 जी.बी. तहसील विजयनगर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 11.06.2025

उपस्थितः 1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

––निर्णय––   दिनांक : 23.12.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60 / 56 में वादी संख्या 1 का नाम दलवीर कौर पत्नी बख्तावर सिंह, दलीप कौर पुत्री गण्डा सिंह व वादी संख्या 2 का नाम जसविन्द्र कौर पुत्री गण्डा सिंह, सुखविन्द्र कौर पत्नी कावल सिंह अंकित है। जबकि तमाम दस्तावेजात में वादी संख्या 1 का नाम दलबीर कौर पत्नी बखतावर सिंह व वादी संख्या 2 का नाम सुखविन्द्र कौर पत्नी काबल सिंह दर्ज है। वादी के पुत्र के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार / केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60 / 56 में अंकित नाम दलवीर कौर पत्नी बख्तावर सिंह, दलीप कौर पुत्री गण्डा सिंह के स्थान पर दलबीर कौर पत्नी बख्तावर सिंह पुत्री गण्डा सिंह व जसविन्द्र कौर पुत्री गण्डा सिंह, सुखविन्द्र कौर पत्नी कावल सिंह के स्थान सुखविन्द्र कौर पत्नी काबल सिंह पुत्री गण्डा सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 3487 दिनांक 12.12.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। सामिल मिसल की गई। साक्ष्यवादी में गवाह बलजिन्द्र कौर का शपथ पत्र पेश किया। सामिल मिसल किया गया।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60 / 56 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

60/56 में अंकित नाम दलवीर कौर पत्नी बख्तावर सिंह, दलीप कौर पुत्री गण्डा सिंह के स्थान पर दलबीर कौर पत्नी बख्तावर सिंह पुत्री गण्डा सिंह व जसविन्द्र कौर पुत्री गण्डा सिंह, सुखविन्द्र कौर पत्नी कावल सिंह के स्थान सुखविन्द्र कौर पत्नी काबल सिंह पुत्री गण्डा सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादीगण के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति में नाम दलबीर कौर पत्नी बख्तावर सिंह, सुखविन्द्र कौर पत्नी काबल सिंह दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत 42 जीबी के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार सुखविन्द्र कौर पत्नी काबल सिंह उर्फ जसविन्द्र कौर पुत्री गण्डा सिंह दोनों नाम एक ही महिला के है। इसी प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत 50 जीबी के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार दलबीर कौर पत्नी बख्तावर सिंह उर्फ दलीप कौर पुत्री गण्डा सिंह दोनों नाम एक ही महिला के है। अतः वाद पत्र वादीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र गवाह, सरपंच ग्राम पंचायत 42 जीबी के तस्दीक प्रमाण पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत 50 जीबी के तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136– भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60/56 में अंकित नाम दलवीर कौर पत्नी बख्तावर सिंह, दलीप कौर पुत्री गण्डा सिंह के स्थान पर दलबीर कौर उर्फ दलीप कौर पत्नी बख्तावर सिंह पुत्री गण्डा सिंह व जसविन्द्र कौर पुत्री गण्डा सिंह, सुखविन्द्र कौर पत्नी कावल सिंह के स्थान जसविन्द्र कौर उर्फ सुखविन्द्र कौर पत्नी काबल सिंह पुत्री गण्डा सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. दलबीर कौर पत्नी बख्तावर सिंह पुत्री गण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 50 जी.बी. तहसील रामसिंहपुरा जिला श्रीगंगानगर। 2. सुखविन्द्र कौर पत्नी काबल सिंह पुत्री गण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी 42 जी.बी. तहसील विजयनगर।		स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर 169/2025
निर्णय दिनांक :- 23.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60/56 में अंकित नाम दलवीर कौर पत्नी बख्तावर सिंह, दलीप कौर पुत्री गण्डा सिंह के स्थान पर दलबीर कौर उर्फ दलीप कौर पत्नी बख्तावर सिंह पुत्री गण्डा सिंह व जसविन्द्र कौर पुत्री गण्डा सिंह, सुखविन्द्र कौर पत्नी कावल सिंह के स्थान जसविन्द्र कौर उर्फ सुखविन्द्र कौर पत्नी काबल सिंह पुत्री गण्डा सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 23.12.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 23.12.2025

क्रमांकः रीडर/2025/938
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर